

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
अधिसूचना

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 4293 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नगर पंचायत के सृजन के लिए निम्नलिखित आदेश का प्रारूप निर्गत करना चाहते हैं, जिसे उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी एवं आपत्ति/सुझाव यदि कोई दाखिल करने हेतु इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा नालंदा जिलान्तर्गत हरनौत के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करने तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करने के लिए एक नया नगर पंचायत, हरनौत के सृजन की घोषणा करते हैं:-

1. ग्रामों के नाम एवं थाना नं०

(क)	ग्राम का नाम	थाना सं०
	1. सबनहुआ	213
	2. रूपसपुर	215
	3. पोरई	214
	4. चेरन	218
	5. बस्ती	220
	6. श्रीचन्दपुर	219
	7. डिहरी	208

(ख)	चौहद्दी	ग्राम का नाम
	उत्तर	चेरो
	दक्षिण	मुढारी
	पूरब	दैही
	पश्चिम	सेवदह

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, हरनौत कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक- 1/7/16

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 4293 /न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।


प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 4293/न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-1/7/16

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागध्याक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त,/जिला पदाधिकारी, नालंदा/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
1/7/2016


प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 4293/न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-1/7/16

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
1/7/2016

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 अधिसूचना संख्या- 4293 दिनांक- 1/7/16/का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

**Government of Bihar  
Urban Development and Housing Department**

**Notificaton**

No-5 न0वि0/वि0-21/16 4294 In exercise of the powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order for creation of Nagar Panchayat, Harnaut which is hereby published for the information and to file objection/suggestion, if any, of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered after a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

**Draft Order**

No-5 न0वि0/वि0-21/16 / In Exercise of powers conferred by sub section (1) (c) of Secion-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar is hereby pleased declare for creation of a new Nagar Panchayat, Harnaut for making an administrative provisions and to enforce the provisions of the said Act in the areas falling in the circle of the following villages of under Harnaut in the District of Nalanda whose boundary are noted below:-

1	<u>Name of villages and Thana Nos</u>	
(a)	<u>Name of Village</u>	<u>Thana No.</u>
	1. Sabnahua	213
	2. Rupuspur	215
	3. Poria	214
	4. Cheran	218
	5. Basti	220
	6. Srichandpur	219
	7. Dihri	208
(b)	<u>Boundary:-</u>	<u>Name of Village</u>
	North-	Chero
	South-	Mudhari
	East-	Daile
	West-	Sevdah
	This area will be called Nagar Panchayat, Harnaut	

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Chaitanya Prasad)  
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.  
UD&HD

Dated:- 1/7/16

Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 4294

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

(Chaitanya Prasad)  
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.  
UD&HD

Dated:- 1/7/16

.Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 4294

Copy to All Departments/Departmental Heads/all Divisional Commissioner/all District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Nalanda/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Principal Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

(Chaitanya Prasad)  
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 4294

UD&HD

Dated:- 1/7/16

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

(Chaitanya Prasad)  
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department